उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग – 1
संख्या – 487/9–आ–1–2000
लखनऊ : दिनांक : फरवरी 01, 2000

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि गंगा नदी के किनारे स्थित विकास प्राधिकरणों वाले नगरों के सर्विसेज (सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, सीवरेज तथा पेयजल) मास्टर प्लान जल निगम, उ0 प्र0 के माध्यम से बनवाये जाने का विषय शासन के समक्ष विचाराधीन है परन्तु इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट मार्गदर्शक सिद्धान्त उपलब्ध नहीं है। अतः विचार–विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इससे सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने हेतु एक समिति गठित की जाय जिसका स्वरूप निम्नवत् होगा :–

1.	आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद	अध्यक्ष
2.	प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
	जो मुख्य अभियन्ता स्तर से कम न हो	सदस्य
3.	मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ	सदस्य
4.	मुख्य अभियन्ता, विकास प्राधिकरण, कानपुर	सदस्य
5.	मुख्य अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद	सदस्य सचिव

अध्यक्ष समिति/आवास आयुक्त यदि किसी अन्य अधिकारी को उपयुक्त समझें तो उसे भी उक्त समिति में ''को–आप्ट'' कर सकते हैं। समिति के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्नवत होंगे :–

1. सर्विसेज मास्टर प्लान कौन–कौन से सर्वेक्षण व अध्ययनों पर आधारित होंगे।
2. सर्विसेज मास्टर प्लान में क्या–क्या कार्य सम्मिलित होंगे तथा उनके क्या–क्या तकनीकी विवरण व विशिष्टियां उपलब्ध कराई जायेंगी। अर्थात विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क्स आदि।
3. विरचन शुल्क (सर्विस चार्ज) की गणना हेतु क्या आधार अपनाया जाना चाहिये; यथा कराये जाने वाले कार्यों के आगणन का एक प्रतिशत की दर से, अथवा नगर के क्षेत्रफल पर आधारित यूनिट रेट।

उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श के उपरान्त समिति अपनी संस्तुति विलम्बतम एक माह में शासन को उपलब्ध करायेगी।

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या – 487 (1) /9.आ.1.2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) सचिव, नगर विकास, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को उनके पत्रांक : 1480/सीजीए/9.2.2000.(1)(19)/95 दिनांक 10 जनवरी, 2000 के क्रम में।
(2) आवास आयुक्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद/अध्यक्ष समिति।
(3) सभी सदस्यगण, समिति।
(4) अनुभाग अधिकारी, आवास अनुभाग–1, उ0 प्र0 शासन।
(5) आवास बन्धु, उ0 प्र0।

आज्ञा से
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।